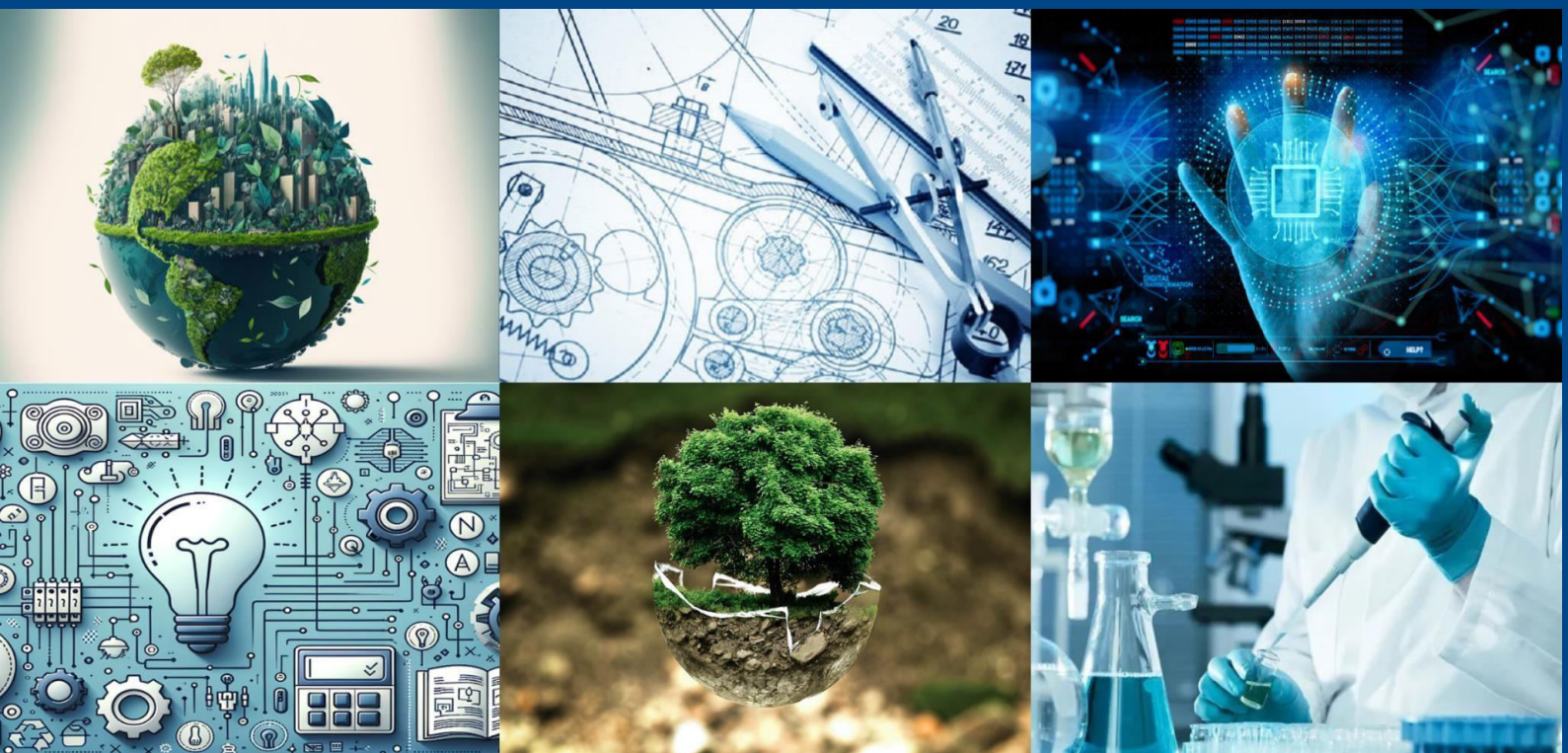




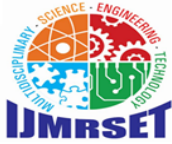
International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)



Impact Factor: 8.206

Volume 9, Issue 2, February 2026



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

एक राष्ट्र-एक चुनाव की आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

Dr. Venkateshwar

Assistant Professor, Department of Political Science, Govind Guru Tribal University, Banswara (Rajasthan), India

सारांश: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और निर्वाचन उसकी प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। स्वतंत्रता के पश्चात 1967 तक लोकसभा तथा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ संपन्न होते रहे। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन तथा 1970 में लोकसभा के विघटन के कारण यह समकालिकता समाप्त हो गई और इसके बाद अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। बार बार होने वाले चुनावों के कारण निर्वाचन व्यय, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती तथा सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी संदर्भ में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक निर्धारित चुनावी चक्र में समन्वित करना है। इससे निर्वाचन व्यय में कमी, प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा शासन और विकास कार्यों में निरंतरता की संभावना है। भारत में इस अवधारणा पर विभिन्न समयों में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा विचार किया गया है। वर्ष 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के समकालिक निर्वाचन तथा उसके पश्चात निर्धारित अवधि में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की।

एक साथ निर्वाचन के समक्ष संविधान संशोधन, राज्यों की स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था, समयपूर्व सरकार के पतन, त्रिशंकु सदन, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका तथा राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के संतुलन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, निर्वाचन सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था भी आवश्यक होगी। अतः एक राष्ट्र-एक चुनाव को निर्वाचन सुधार, प्रशासनिक दक्षता, शासन की निरंतरता तथा लोकतांत्रिक और संघीय संतुलन के व्यापक संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है।

प्रमुखशब्द: एक राष्ट्र-एक चुनाव, समकालिक निर्वाचन, निर्वाचन सुधार, भारतीय लोकतंत्र, निर्वाचन व्यय, शासन की निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता, संघवाद, संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक सुदृढीकरण।

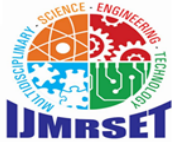
1. भूमिका

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन जनता की राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख माध्यम है। भारतीय संविधान ने प्रतिनिधिक लोकतंत्र को स्वीकार करते हुए नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया है। निर्वाचन के माध्यम से जनता अपनी राजनीतिक इच्छा को व्यक्त करती है तथा सरकार के गठन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन व्यवस्था का विशेष महत्व है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए। प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित होते थे। वर्ष 1952 से 1967 तक यह व्यवस्था काफी हद तक बनी रही। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन तथा वर्ष 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद चुनावों का क्रम अलग अलग हो गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य निर्वाचन विभिन्न अवधियों में आयोजित किए जाते हैं।

लगातार होने वाले चुनावों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें राजनीतिक दलों, प्रशासन तथा निर्वाचन व्यवस्था को बार बार चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय होना पड़ता है। चुनावों में होने वाला व्यय, निर्वाचन कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनावी सामग्री की व्यवस्था तथा प्रशासनिक समय और संसाधनों का उपयोग इसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इसके साथ ही बार बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता शासन की सामान्य गतिविधियों और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

इसी पृष्ठभूमि में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा सामने आती है। इसका मूल विचार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करके देश में एक समन्वित निर्वाचन चक्र स्थापित करना है। ऐसी व्यवस्था से निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

व्यवस्थित बनाने, संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने और शासन को चुनावी गतिविधियों से बार बार प्रभावित होने से बचाने की संभावना व्यक्त की जाती है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी आवश्यकता और व्यावहारिकता का है। इसके साथ संविधान, संघीय व्यवस्था, राज्यों की स्वायत्तता, राजनीतिक दलों, निर्वाचन प्रशासन तथा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़े अनेक पक्ष जुड़े हुए हैं। इसलिए यह अवधारणा भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में संभावित व्यापक सुधार के रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श का विषय बन गई है।

II. भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को समझने के लिए देश की निर्वाचन व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास को समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया और संविधान के माध्यम से जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत में नियमित निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच संपन्न हुए। उस समय लोकसभा के साथ अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक ही अवधि में कराए गए। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखना तथा केंद्र और राज्यों में निर्वाचित सरकारों को लगभग समान अवधि के लिए कार्य करने का अवसर प्रदान करना था।

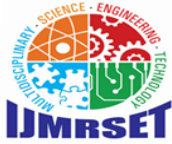
वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद वर्ष 1957 और 1962 में भी लोकसभा तथा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ आयोजित किए गए। वर्ष 1967 तक देश में सामान्य रूप से यही निर्वाचन चक्र बना रहा। इस अवधि में केंद्र और राज्यों के निर्वाचन एक दूसरे के साथ काफी हद तक समन्वित थे। उस समय एक साथ चुनाव कराने के लिए किसी विशेष संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल तथा राजनीतिक परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक समानता थी। इस प्रकार 1951-52 से 1967 तक का काल भारत में समकालिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रमुख प्रारंभिक चरण माना जाता है।

वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे। अनेक राज्यों में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कई स्थानों पर स्थायी बहुमत वाली सरकारों का गठन कठिन होने लगा। परिणामस्वरूप कुछ राज्य विधानसभाओं में सरकारें अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। वर्ष 1968 और 1969 में कई राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया गया। इससे उन राज्यों के निर्वाचन का समय लोकसभा के निर्वाचन चक्र से अलग होने लगा। इसके बाद राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने की प्रक्रिया विकसित हुई।

वर्ष 1970 में लोकसभा को भी निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले भंग कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप लोकसभा का निर्वाचन चक्र भी पहले से निर्धारित क्रम से अलग हो गया। इसके बाद केंद्र और राज्यों में सरकारों के गठन तथा विघटन की परिस्थितियों में अंतर बढ़ता गया। किसी राज्य में सरकार के समयपूर्व पतन की स्थिति में वहाँ नया चुनाव कराना पड़ता था, जबकि अन्य राज्यों और केंद्र में निर्वाचन का समय अलग हो सकता था। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अलग अलग समय पर होने लगे।

समकालिक निर्वाचन की समाप्ति केवल राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संसदीय व्यवस्था में सरकारों के कार्यकाल से जुड़ी व्यावहारिक परिस्थितियों का परिणाम भी थी। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का अस्तित्व सदन के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि सरकार बहुमत खो देती है और वैकल्पिक सरकार का गठन संभव नहीं होता, तो सदन को समयपूर्व भंग करके पुनः निर्वाचन कराना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों ने विभिन्न राज्यों के निर्वाचन चक्र को अलग अलग कर दिया। इसी प्रकार केंद्र में भी लोकसभा के समयपूर्व विघटन ने राष्ट्रीय निर्वाचन चक्र को प्रभावित किया।

समय के साथ अलग अलग निर्वाचन चक्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा बन गया। लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त राज्य विधानसभा चुनाव, उपचुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव विभिन्न समय पर आयोजित होने लगे। इससे राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ लगातार चुनावों से जुड़ी रहने लगीं। चुनावी प्रक्रिया के विस्तार के साथ निर्वाचन प्रबंधन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता भी बढ़ी। इस परिस्थिति ने एक साथ निर्वाचन के विचार को पुनः चर्चा में लाने का आधार तैयार किया।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

भारत में समकालिक निर्वाचन को पुनः स्थापित करने का विचार समय समय पर विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों की समकालिकता के प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बाद में विधि आयोग ने भी चुनाव सुधारों के व्यापक संदर्भ में इस विषय पर विचार किया। वर्ष 1999 में प्रस्तुत विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के विचार को महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के रूप में देखा गया। इसके बाद भी यह विषय विभिन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चाओं में बना रहा।

वर्ष 2015 में एक साथ निर्वाचन के संबंध में पुनः व्यापक संस्थागत चर्चा हुई। निर्वाचन व्यवस्था में होने वाले खर्च, प्रशासनिक संसाधनों के उपयोग और शासन की निरंतरता जैसे विषयों को इसके साथ जोड़ा गया। वर्ष 2017 में नीति आयोग ने भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को समकालिक बनाने के संबंध में अध्ययन प्रस्तुत किया। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने इस विषय पर अपना मसौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संवैधानिक तथा कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता पर विचार किया। इन प्रयासों से स्पष्ट हुआ कि एक साथ निर्वाचन केवल राजनीतिक विचार नहीं रहा, बल्कि इसे निर्वाचन सुधार के व्यापक विषय के रूप में देखा जाने लगा।

वर्ष 2014 के बाद एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में अधिक प्रमुखता से सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों को समकालिक बनाने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए गए। इसके समर्थन में निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने, प्रशासनिक संसाधनों की बचत करने तथा सरकारों को चुनावी दबाव से मुक्त होकर दीर्घकालीन नीतियों पर कार्य करने का तर्क प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों, संघीय व्यवस्था तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएँ व्यक्त कीं।

इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण पहल सितंबर 2023 में हुई जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। मार्च 2024 में उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने तथा इसके बाद निर्धारित अवधि में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराने की व्यवस्था की सिफारिश की।

इस प्रकार भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा का इतिहास दो प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण 1951-52 से 1967 तक का है, जब लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। दूसरा चरण 1967 के बाद का है, जब राजनीतिक एवं संवैधानिक परिस्थितियों के कारण यह व्यवस्था समाप्त हुई और अलग अलग निर्वाचन चक्र विकसित हुए। वर्तमान समय में समकालिक निर्वाचन की अवधारणा इसी ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः स्थापित करने के प्रयास के रूप में सामने आई है।

III. एक राष्ट्र-एक चुनाव की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल और बहुदलीय लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन केवल सरकार के गठन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनप्रतिनिधित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व और जनादेश की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। इसलिए निर्वाचन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखते हुए प्रशासनिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करे। वर्तमान में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा अन्य स्तरों पर अलग अलग समय में होने वाले चुनावों के कारण देश को लगभग निरंतर चुनावी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। इसी परिस्थिति में एक राष्ट्र-एक चुनाव की आवश्यकता पर विचार किया जाता है।

भारत में बार बार होने वाले चुनावों पर होने वाला सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, निर्वाचन सामग्री, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पर्याप्त संसाधन खर्च होते हैं। यदि चुनाव अलग अलग समय पर होते रहें तो इन व्यवस्थाओं को बार बार दोहराना पड़ता है। एक साथ निर्वाचन की व्यवस्था से इन संसाधनों का अधिक समन्वित उपयोग किया जा सकता है और सार्वजनिक धन पर पड़ने वाले बार बार के दबाव को कम करने की संभावना बनती है।

निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण, मतदान कार्य, मतगणना और अन्य जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक कर्मचारियों को बार बार अपने नियमित दायित्वों से निर्वाचन कार्यों में लगना पड़



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

सकता है। एक साथ निर्वाचन होने पर इस व्यवस्था को एक निर्धारित अवधि में संगठित किया जा सकता है और प्रशासनिक कार्यों में होने वाले बार बार के व्यवधान को कम किया जा सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था भी निर्वाचन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने से सुरक्षा बलों की तैनाती और स्थानांतरण की प्रक्रिया बार बार करनी पड़ती है। एक साथ निर्वाचन होने पर उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों की पूर्ण योजना बनाकर अधिक व्यवस्थित ढंग से तैनाती की जा सकती है। इससे सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में भी सुविधा प्राप्त हो सकती है।

बार बार होने वाले चुनावों का प्रभाव शासन की कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। निर्वाचन की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिसके कारण सरकारों द्वारा नई योजनाओं, घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों से संबंधित गतिविधियों पर कुछ सीमाएँ लागू हो जाती हैं। यदि देश के किसी न किसी भाग में लगातार चुनाव होते रहें तो ऐसी परिस्थितियाँ बार बार उत्पन्न हो सकती हैं। एक साथ निर्वाचन होने पर चुनावी अवधि को सीमित और पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, जिससे सरकारों को अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक सामान्य प्रशासन और नीतिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल सकता है।

विकास कार्यों की निरंतरता भी एक साथ निर्वाचन के पक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला महत्वपूर्ण आधार है। केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, कृषि तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित दीर्घकालीन योजनाएँ संचालित करती हैं। बार बार होने वाले चुनावों के कारण राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक गतिविधियों में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक निश्चित निर्वाचन चक्र सरकारों को दीर्घकालीन योजनाओं को निरंतरता के साथ लागू करने के लिए अधिक समय उपलब्ध करा सकता है।

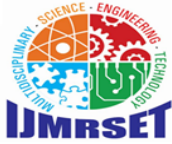
एक साथ निर्वाचन की आवश्यकता राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से भी जुड़ी हुई है। लगातार चुनाव होने के कारण राजनीतिक दलों को संगठनात्मक तथा वित्तीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा चुनावी गतिविधियों में लगाना पड़ता है। चुनाव प्रचार, जनसभाएँ, यात्रा, प्रचार सामग्री और अन्य गतिविधियों पर होने वाला व्यय राजनीतिक दलों के लिए निरंतर वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है। समकालिक निर्वाचन से चुनावी गतिविधियों को एक निर्धारित अवधि में केंद्रित करने की संभावना होगी।

मतदाता के दृष्टिकोण से भी बार बार होने वाले चुनावों का अपना प्रभाव है। लगातार चुनावी प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों के कारण मतदाताओं को बार बार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने पर मतदाता एक ही चुनावी अवधि में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को समझने और उसमें भाग लेने के लिए एक निश्चित चुनावी समय-सारणी विकसित की जा सकती है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार शासन में स्थिरता और दीर्घकालीन नीति निर्माण है। यदि सरकारों को लगातार चुनावी दबाव का सामना न करना पड़े तो वे दीर्घकालीन योजनाओं और नीतिगत सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। विशेष रूप से ऐसी नीतियाँ जिनका परिणाम कई वर्षों बाद दिखाई देता है, उनके लिए निरंतर प्रशासनिक ध्यान आवश्यक होता है। समकालिक निर्वाचन इस दिशा में अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है।

इसके साथ ही निर्वाचन व्यवस्था में पारदर्शिता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रक्रिया में धन के बढ़ते उपयोग तथा राजनीतिक वित्तपोषण से संबंधित प्रश्नों के कारण चुनाव सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है। एक साथ चुनाव इन सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सकता, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक संगठित और सीमित अवधि में संचालित करने के माध्यम से चुनावी प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

इस प्रकार भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की आवश्यकता मुख्यतः निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रशासनिक दबाव को कम करने, शासन में निरंतरता बनाए रखने और दीर्घकालीन विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने से संबंधित है। हालांकि इसकी उपयोगिता का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब इसके संवैधानिक, राजनीतिक और व्यावहारिक पक्षों का भी समान रूप से ध्यान रखा जाए।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

IV. भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की प्रमुख समस्याएँ

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था ने लोकतांत्रिक शासन को व्यापक जनभागीदारी प्रदान की है, लेकिन इसके संचालन के दौरान अनेक ऐसी समस्याएँ सामने आई हैं जो निर्वाचन की गुणवत्ता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं का संबंध केवल मतदान की प्रक्रिया से नहीं बल्कि चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों के व्यवहार, चुनावी वित्तपोषण और मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों से भी है।

भारतीय चुनावों में धनबल की भूमिका एक प्रमुख समस्या है। चुनाव प्रचार, जनसभाओं, यात्रा, प्रचार सामग्री और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अधिक वित्तीय संसाधन रखने वाले प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को प्रचार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों के लिए समान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है। चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित होने के बावजूद वास्तविक व्यय को नियंत्रित करना एक चुनौती बना हुआ है।

बाहुबल और चुनावी हिंसा भी भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के सामने गंभीर समस्या रही है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौरान दबाव, धमकी और हिंसा का प्रयोग मतदाताओं तथा प्रत्याशियों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। लोकतंत्र में मतदाता को बिना भय के अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलना आवश्यक है। इसलिए किसी भी प्रकार का दबाव निर्वाचन की स्वतंत्रता के लिए प्रतिकूल माना जाता है।

राजनीति का अपराधीकरण भी निर्वाचन व्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौती है। विभिन्न समयों में ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के मामले सामने आए हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित रहे हैं। किसी व्यक्ति पर आरोप होना और अपराध सिद्ध होना अलग अलग विषय हैं, फिर भी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करती है। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के चयन में आपराधिक पृष्ठभूमि को पर्याप्त महत्व दिया जाना आवश्यक है।

जाति और धर्म आधारित राजनीतिक लामबंदी भारतीय चुनावों की एक अन्य समस्या है। भारत सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, इसलिए विभिन्न सामाजिक समूहों की राजनीतिक प्राथमिकताएँ स्वाभाविक रूप से अलग हो सकती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए सामाजिक पहचान को अत्यधिक राजनीतिक रूप दिया जाता है। इससे व्यापक जनहित के स्थान पर संकीर्ण समूहगत हित चुनावी विमर्श में अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं।

क्षेत्रवाद भी भारतीय निर्वाचन राजनीति को प्रभावित करने वाला तत्व है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, भाषायी और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल इन स्थानीय आवश्यकताओं को राजनीतिक मंच प्रदान करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किंतु कभी कभी क्षेत्रीय हितों और व्यापक राष्ट्रीय हितों के बीच राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए निर्वाचन व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन आवश्यक है।

वंशवादी राजनीति भी चुनावी प्रतिनिधित्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ राजनीतिक संगठनों में नेतृत्व और प्रत्याशी चयन एक ही परिवार या सीमित राजनीतिक समूह के आसपास केंद्रित रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इससे नए राजनीतिक नेतृत्व के विकास और संगठन के भीतर व्यापक अवसरों पर प्रश्न उठ सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में योग्यता, जनस्वीकार्यता और संगठनात्मक क्षमता को प्राथमिकता मिलना आवश्यक है।

चुनावी चंदे और राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण समस्या है। राजनीतिक दलों को चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि धन के स्रोत और उसके उपयोग में पर्याप्त पारदर्शिता न हो तो राजनीतिक निर्णयों पर आर्थिक हितों के प्रभाव की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निर्वाचन सुधार का महत्वपूर्ण पक्ष है।

मतदाता उदासीनता भी चुनावी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान करना लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूत करता है, लेकिन विभिन्न कारणों से सभी मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचते। शहरी क्षेत्रों में व्यस्तता, स्थान परिवर्तन, मतदाता सूची से संबंधित समस्याएँ तथा राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता इसके कुछ कारण हो सकते हैं। मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए मतदाता जागरूकता और निर्वाचन व्यवस्था की सरलता आवश्यक है।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

फर्जी मतदान, मतदाता सूची में त्रुटियाँ और चुनावी अनियमितताएँ भी निर्वाचन की विश्वसनीयता से जुड़े प्रश्न हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीकी साधनों और निगरानी व्यवस्था का प्रयोग बढ़ाया गया है, फिर भी मतदाता सूची का नियमित अद्यतन और मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता आवश्यक बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों और मतदाता सत्यापन संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में भी जनता का विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

चुनावी प्रचार में सामाजिक माध्यमों और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। गलत सूचना, भ्रामक प्रचार, असत्य सामग्री और लक्षित राजनीतिक प्रचार मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों की तेज गति के कारण किसी गलत सूचना के व्यापक प्रसार के बाद उसका प्रभाव नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग की आवश्यकता बढ़ गई है।

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की इन समस्याओं को केवल एक चुनावी सुधार से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता, प्रत्याशी चयन में उत्तरदायित्व, मतदाता जागरूकता, निर्वाचन प्रशासन की क्षमता तथा कानूनों के प्रभावी पालन को मजबूत करना आवश्यक है। एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा इन व्यापक चुनावी सुधारों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन इसे भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं माना जा सकता।

IV. एक राष्ट्र-एक चुनाव की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास

भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक निर्वाचन व्यवस्था से जुड़ा रहा है। बाद में अलग अलग निर्वाचन चक्र विकसित होने के पश्चात इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रश्न विभिन्न अवसरों पर सरकारी संस्थाओं, निर्वाचन विशेषज्ञों और राजनीतिक नेतृत्व के सामने उठता रहा। समय के साथ इस विषय पर विचार अधिक व्यवस्थित और संस्थागत रूप में सामने आया।

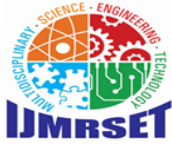
वर्ष 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के विचार पर ध्यान आकर्षित किया। आयोग का दृष्टिकोण मुख्य रूप से निर्वाचन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और बार बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने से संबंधित था। इससे समकालिक निर्वाचन का विषय औपचारिक निर्वाचन सुधार के विमर्श में आया।

वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में चुनाव सुधारों का व्यापक अध्ययन किया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया। रिपोर्ट ने इस विषय को केवल चुनाव कराने की सुविधा के रूप में नहीं देखा, बल्कि संसदीय व्यवस्था की स्थिरता और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार से जोड़कर देखा।

इसके बाद वर्ष 2015 में भी एक साथ निर्वाचन के संबंध में संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। इस दौरान निर्वाचन व्यय, प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता, सुरक्षा व्यवस्था तथा चुनावी प्रक्रिया में बार बार होने वाले व्यवधान जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया। इससे यह विषय पुनः व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना।

वर्ष 2017 में नीति आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें चुनावों के अलग अलग समय पर होने से उत्पन्न प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रभावों पर विचार किया गया और समकालिक निर्वाचन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इसी क्रम में वर्ष 2018 में विधि आयोग ने भी एक साथ निर्वाचन के संबंध में मसौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी परिवर्तनों तथा विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों पर विचार किया गया।

वर्ष 2014 के बाद एक राष्ट्र-एक चुनाव का विषय राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में अधिक प्रमुखता से सामने आया। इसके समर्थकों ने चुनावी व्यय को नियंत्रित करने, प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा शासन को लगातार चुनावी गतिविधियों से अलग रखने जैसे तर्क प्रस्तुत किए। दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों, संघीय व्यवस्था तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर विचार व्यक्त किए। इस प्रकार विषय पर समर्थन और विरोध दोनों पक्षों में व्यापक चर्चा विकसित हुई।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

V. रामनाथ कोविंद उच्च स्तरीय समिति एवं वर्तमान पहल

एक राष्ट्र-एक चुनाव के विषय को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति का प्रमुख उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनावों को समकालिक बनाने की संभावनाओं का परीक्षण करना और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी उपायों पर विचार करना था। समिति ने इस विषय से जुड़े विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया।

समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों, पूर्व निर्वाचन अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित पक्षों से विचार प्राप्त किए। इसके साथ ही भारत की निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों और विभिन्न देशों में प्रचलित समकालिक निर्वाचन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। समिति ने यह विचार किया कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में समकालिक निर्वाचन के लिए केवल चुनाव की तिथियों को एक करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक एवं विधायी व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था को पहला चरण माना गया। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव निर्धारित अवधि के भीतर कराने की सिफारिश की गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश में एक समन्वित निर्वाचन चक्र विकसित करना था।

समिति ने समकालिक निर्वाचन के लिए संविधान में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव भी दिया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन तथा एक नए संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से चुनावी चक्र को समन्वित करने की व्यवस्था का प्रस्ताव शामिल था। इसके साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल को समायोजित करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया गया।

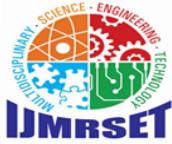
समिति की सिफारिशों में समयपूर्व लोकसभा या विधानसभा के विघटन की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया। यदि किसी सरकार का कार्यकाल निर्धारित अवधि से पहले समाप्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में होने वाले निर्वाचन को शेष कार्यकाल के लिए कराने की व्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया गया, ताकि अगले निर्धारित चक्र में समकालिक निर्वाचन की व्यवस्था बनी रह सके। इस प्रकार प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन के बाद पूरे निर्वाचन चक्र को पुनः अलग अलग करने से रोकना था।

स्थानीय निकायों के संबंध में समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की। इसके लिए निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं में समन्वय तथा मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक संगठित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

समिति ने निर्वाचन प्रक्रिया में समन्वित मतदाता सूची के महत्व पर भी विचार किया। वर्तमान में विभिन्न स्तरों के चुनावों के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। एक समान मतदाता सूची की व्यवस्था से मतदाता संबंधी जानकारी के रखरखाव में सुविधा और निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने की संभावना है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग आवश्यक होगा।

समिति की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने एक साथ निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक संशोधन की दिशा में विधायी कदम उठाया। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन चक्र को समकालिक बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया। संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन से जुड़े आवश्यक प्रावधानों में परिवर्तन का प्रस्ताव भी सामने आया।

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन में नया अनुच्छेद 82क जोड़ने का प्रावधान रखा गया। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक आधार तैयार करने का प्रयास किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं ताकि निर्वाचन चक्र को समन्वित किया जा सके।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

वर्ष 2024 में प्रस्तुत विधेयक को आगे की संसदीय प्रक्रिया के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से विचार प्राप्त करने तथा प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस कारण एक राष्ट्र-एक चुनाव का विषय अभी भी व्यापक संवैधानिक और संसदीय विमर्श का हिस्सा बना हुआ है।

वर्तमान पहल का महत्व इस बात में है कि पहली बार समकालिक निर्वाचन के विचार को व्यापक संवैधानिक और विधायी ढाँचे के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसके वास्तविक क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन, राज्यों की भूमिका, राजनीतिक सहमति, निर्वाचन आयोग की तैयारी तथा समयपूर्व सरकार के गठन या विघटन जैसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक होगी। इस प्रकार रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों और उसके बाद की विधायी प्रक्रिया भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण चरण हैं।

VI. एक राष्ट्र-एक चुनाव की प्रमुख चुनौतियाँ

एक राष्ट्र-एक चुनाव को लागू करना भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक जटिल संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया होगी। लोकसभा तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन चक्र को एक समय पर लाने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं में व्यापक समायोजन करना पड़ेगा। इसलिए इसके सामने अनेक ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किए बिना समकालिक निर्वाचन को प्रभावी रूप से लागू करना कठिन होगा।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग परिस्थितियों में निर्धारित होते हैं। किसी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार गिर जाने पर निर्वाचन आवश्यक हो सकता है। ऐसी स्थिति में नया निर्वाचन किस अवधि के लिए कराया जाए और उसके बाद उसे निर्धारित निर्वाचन चक्र में किस प्रकार जोड़ा जाए, इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक होगी। इसी प्रकार लोकसभा में बहुमत समाप्त होने की स्थिति में भी नई व्यवस्था के अनुरूप समाधान निर्धारित करना होगा।

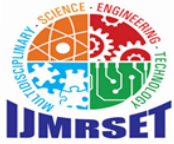
संघीय व्यवस्था भी इस विषय का महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को संविधान द्वारा अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। राज्य सरकारें अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए सभी राज्यों के निर्वाचन चक्र को एक समान करने की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति और उनकी संवैधानिक भूमिका का विशेष महत्व होगा। यदि राज्यों को पर्याप्त सहभागिता नहीं मिलती है तो समकालिक निर्वाचन के प्रस्ताव पर राजनीतिक और संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की चिंताएँ भी इस व्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण चुनौती हैं। राज्य स्तर के दलों का राजनीतिक आधार मुख्यतः स्थानीय और क्षेत्रीय विषयों पर निर्भर करता है। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव बढ़ने की आशंका व्यक्त की जाती है। इससे राज्य स्तर के मुद्दों और क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक भूमिका प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होगी जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक प्रश्नों को उचित स्थान मिल सके।

मतदाता के सामने भी एक नई परिस्थिति उत्पन्न होगी। एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान करते हुए मतदाता को दो अलग स्तरों के प्रतिनिधियों का चयन करना होगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे अलग होते हैं तथा दोनों स्तरों पर मतदाता की प्राथमिकताएँ भी भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक होगा कि मतदाता को दोनों निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों से संबंधित पर्याप्त एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

निर्वाचन प्रबंधन की दृष्टि से भी यह प्रक्रिया अत्यंत व्यापक होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों, मतदाता सत्यापन संबंधी उपकरणों, मतदान कर्मियों और निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता होगी। देश के सभी राज्यों में एक ही अवधि में निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग को पहले से विस्तृत योजना और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने होंगे। उपकरणों की उपलब्धता, रखरखाव और सुरक्षित परिवहन भी महत्वपूर्ण विषय होंगे।

सुरक्षा व्यवस्था एक अन्य बड़ी चुनौती होगी। अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर मतदान होने की स्थिति में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। संवेदनशील क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अधिक जोखिम वाले मतदान केंद्रों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए केंद्र और राज्यों के सुरक्षा तंत्र के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक होगा।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

भौगोलिक और सामाजिक विविधता भी समकालिक निर्वाचन को जटिल बनाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों, परिवहन सुविधाओं और सामाजिक परिस्थितियों में पर्याप्त अंतर है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, वन क्षेत्रों तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही अवधि में मतदान कराना विशेष प्रशासनिक तैयारी की मांग करेगा।

एक अन्य चुनौती निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना है। जब बहुत बड़े स्तर पर चुनाव एक साथ होंगे तो किसी तकनीकी, प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधी समस्या का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसलिए मतदान व्यवस्था, मतदाता सूची, उपकरणों की सुरक्षा, मतगणना और निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की विश्वसनीयता के लिए मजबूत व्यवस्था आवश्यक होगी।

समकालिक निर्वाचन का राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श अधिक प्रभावशाली हो सकता है और इसका प्रभाव राज्य स्तरीय चुनावी निर्णयों पर पड़ने की संभावना रहती है। इससे मतदाता के निर्णय, राजनीतिक दलों की रणनीति और चुनाव प्रचार के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक बहुलवाद और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

सबसे बड़ी चुनौती व्यापक राजनीतिक सहमति की है। एक राष्ट्र-एक चुनाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि केंद्र और राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहमति आवश्यक होगी। संविधान में आवश्यक परिवर्तन भी व्यापक राजनीतिक विचार विमर्श के बाद ही स्थायी रूप प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार एक राष्ट्र-एक चुनाव के सामने संवैधानिक समायोजन, संघीय संतुलन, क्षेत्रीय हित, निर्वाचन प्रबंधन, सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता, मतदाता व्यवहार और राजनीतिक सहमति जैसी बहुआयामी चुनौतियाँ हैं। इनका समाधान ऐसी व्यवस्था के माध्यम से करना होगा जो निर्वाचन की सुविधा के साथ भारतीय लोकतंत्र की विविधता, राज्यों की स्वायत्तता और संवैधानिक मूल्यों को भी सुरक्षित रख सके।

VII. एक राष्ट्र-एक चुनाव के संभावित प्रभाव

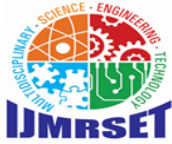
एक राष्ट्र-एक चुनाव का प्रभाव केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका संबंध भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवहार से भी होगा। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन एक निर्धारित चक्र में संपन्न होते हैं, तो देश की राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से समकालिक निर्वाचन से सरकारों को अपेक्षाकृत स्थिर कार्यकाल प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। बार बार होने वाली चुनावी गतिविधियों में राजनीतिक दलों का ध्यान लगातार प्रचार और जनसमर्थन प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। एक निश्चित निर्वाचन चक्र होने पर सरकारें दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव सार्वजनिक तथा राजनीतिक व्यय पर पड़ सकता है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों में प्रचार, परिवहन, सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं पर बार बार खर्च होता है। समकालिक निर्वाचन में इन व्यवस्थाओं को एक निर्धारित अवधि में केंद्रित किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग की संभावना बनती है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनावी व्यय को नियंत्रित करने की दिशा में भी यह व्यवस्था सहायक हो सकती है।

प्रशासनिक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की बार बार निर्वाचन कार्य में नियुक्ति की आवश्यकता कम हो सकती है। वर्तमान व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान, प्रशिक्षण, मतगणना तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगाया जाता है। एक निश्चित निर्वाचन अवधि होने पर प्रशासनिक मशीनरी अपने नियमित दायित्वों पर अधिक समय दे सकती है। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।

विकास की दृष्टि से भी समकालिक निर्वाचन का महत्व हो सकता है। चुनावी अवधि में सरकारों की प्राथमिकताएँ बदलने तथा नई घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना रहती है। एक साथ निर्वाचन होने पर चुनावी अवधि को सीमित रखते हुए शेष समय में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। विशेष रूप से दीर्घकालीन आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए यह उपयोगी हो सकता है।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

लोकतांत्रिक दृष्टि से इसके सकारात्मक और संभावित नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। एक ओर मतदाताओं को एक निश्चित अवधि में अपने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों का चयन करने का अवसर मिलेगा, दूसरी ओर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव राज्य स्तरीय मुद्दों पर बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों स्तरों के निर्वाचन में मतदाता को स्वतंत्र रूप से अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करने का अवसर मिलना आवश्यक होगा।

राजनीतिक दलों के लिए भी समकालिक निर्वाचन संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्हें एक ही निर्वाचन अवधि में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी। इससे चुनावी संगठन के संचालन में अधिक समन्वय की आवश्यकता होगी तथा छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपने सीमित संसाधनों का अधिक योजनाबद्ध उपयोग करना पड़ेगा।

इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक उत्तरदायित्व पर भी पड़ सकता है। यदि निर्वाचन एक निश्चित चक्र में हों तो मतदाताओं के पास सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित अवधि उपलब्ध होगी। इससे जनादेश और शासन के बीच संबंध अधिक स्पष्ट हो सकता है। हालांकि इसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पर्याप्त जानकारी पर आधारित मतदान वातावरण आवश्यक होगा।

इस प्रकार एक राष्ट्र-एक चुनाव से राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक निरंतरता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और दीर्घकालीन विकास की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक हितों के संतुलन को बनाए रखना इसकी सफलता के लिए आवश्यक होगा।

VIII. एक राष्ट्र-एक चुनाव और भारतीय संघीय व्यवस्था

भारत का संघीय ढाँचा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। केंद्र तथा राज्य दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं में शासन का संचालन करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का प्रश्न केवल निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता से भी है।

राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन मुख्य रूप से राज्य की स्थानीय परिस्थितियों और वहाँ के राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। किसी राज्य में कृषि, रोजगार, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास, भाषा या स्थानीय प्रशासन जैसे विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियाँ प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। एक साथ चुनाव होने पर इन दोनों प्रकार के मुद्दों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन दलों ने विभिन्न राज्यों की स्थानीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीय हितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। एक साथ चुनाव होने की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक विमर्श का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में यह चिंता उत्पन्न हो सकती है कि राज्य आधारित मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में कम महत्व मिले। इसलिए समकालिक निर्वाचन की व्यवस्था में क्षेत्रीय राजनीतिक विविधता की सुरक्षा आवश्यक होगी।

राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी राज्य की सरकार अपना बहुमत खो देती है और विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो केवल चुनावी समकालिकता बनाए रखने के लिए उस राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना उचित नहीं होगा। जनता को समय पर नई सरकार चुनने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक होगी जिसमें सरकार के समयपूर्व पतन और निर्धारित निर्वाचन चक्र के बीच उचित संतुलन बनाया जा सके।

संघीय व्यवस्था में राज्यों की सहमति का विशेष महत्व है। एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और उनकी राजनीतिक भूमिका पर पड़ सकता है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक विचार विमर्श तथा सहमति लोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक होगी।

एक साथ चुनाव होने पर मतदाता के सामने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिनिधियों के चयन की स्थिति एक ही समय में आएगी। यह आवश्यक नहीं है कि कोई मतदाता लोकसभा और विधानसभा में समान राजनीतिक दल को ही समर्थन दे। भारतीय मतदाताओं का



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

राजनीतिक व्यवहार अनेक अवसरों पर अलग अलग स्तरों पर अलग परिणाम प्रस्तुत करता रहा है। इसलिए ऐसी निर्वाचन व्यवस्था में मतदाता की स्वतंत्र राजनीतिक पसंद को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

एक राष्ट्र-एक चुनाव संघीय व्यवस्था को कमजोर करने वाला सिद्धांत तभी बन सकता है जब इसके माध्यम से राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता सीमित हो या स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा हो। इसके विपरीत यदि संविधान में राज्यों की भूमिका, स्वतंत्र निर्वाचन और अलग राजनीतिक जनादेश को सुरक्षित रखते हुए केवल निर्वाचन चक्र का समन्वय किया जाए, तो इसे प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है।

इसलिए समकालिक निर्वाचन की सफलता का आधार केवल चुनावों का एक समय पर होना नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। भारत की विविधता और संघीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होगी जिसमें राष्ट्रीय स्थिरता के साथ राज्य स्तर की राजनीतिक पहचान और स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे।

IX. एक राष्ट्र-एक चुनाव के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय

एक राष्ट्र-एक चुनाव को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केवल संवैधानिक संशोधन पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए निर्वाचन व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक दलों और मतदाता सुविधाओं से संबंधित अनेक स्तरों पर तैयारी आवश्यक होगी। सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक राजनीतिक सहमति विकसित करना आवश्यक है, ताकि प्रस्ताव को सभी प्रमुख राजनीतिक पक्षों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो सके।

संवैधानिक प्रावधानों में आवश्यक संशोधन स्पष्ट और व्यावहारिक होने चाहिए। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल, समयपूर्व विघटन और पुनर्निर्वाचन जैसी परिस्थितियों के लिए पहले से स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित करनी होगी। विशेष रूप से यह तय करना आवश्यक होगा कि यदि किसी सरकार का बहुमत समाप्त हो जाए तो नई सरकार के गठन, सदन के कार्यकाल और अगले समकालिक निर्वाचन के बीच किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाएगा।

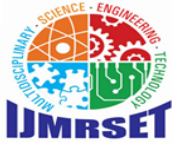
निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक क्षमता को भी मजबूत करना आवश्यक होगा। एक साथ व्यापक स्तर पर निर्वाचन कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें, मतदाता सत्यापन उपकरण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करानी होगी। इनके रखरखाव, सुरक्षित भंडारण और समय पर वितरण के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करनी होगी।

मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना भी आवश्यक होगा। एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था के लिए मतदाता संबंधी जानकारी में एकरूपता और नियमित अद्यतन महत्वपूर्ण है। मतदाता के स्थान परिवर्तन, नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा नाम हटाने जैसी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्यों के बीच पहले से समन्वित योजना तैयार करनी होगी। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, परिवहन तथा मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने होंगे। एक साथ निर्वाचन होने के कारण किसी एक क्षेत्र की सुरक्षा समस्या का प्रभाव व्यापक निर्वाचन व्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए वैकल्पिक योजनाएँ भी तैयार करनी होंगी।

राजनीतिक दलों को भी अपनी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एक ही निर्वाचन अवधि में विभिन्न स्तरों के मुद्दों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय विषयों के साथ स्थानीय समस्याओं को उचित स्थान देना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक होगा।

मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण होंगे। लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों की भूमिकाएँ अलग होती हैं। इसलिए मतदाताओं को दोनों स्तरों के दायित्वों और चुनावों के महत्व की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इससे मतदाता अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय भी समानांतर रूप से किए जाने चाहिए। केवल चुनावों को एक साथ कराने से धनबल की समस्या समाप्त नहीं होगी। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के वित्तीय स्रोत, चुनावी व्यय तथा प्रचार से संबंधित नियमों के प्रभावी पालन के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था आवश्यक होगी।

समकालिक निर्वाचन के लिए चरणबद्ध तैयारी अधिक व्यावहारिक हो सकती है। पहले आवश्यक कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था तैयार की जाए, उसके बाद निर्वाचन सामग्री और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा अंत में निर्धारित चुनावी चक्र के अनुसार निर्वाचन कराया जाए। इससे अचानक उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को कम किया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राष्ट्र-एक चुनाव को व्यापक चुनाव सुधारों के साथ जोड़ा जाए। मतदाता सुविधा, राजनीतिक वित्तपोषण, प्रत्याशी चयन, चुनावी आचार और निर्वाचन प्रशासन में पारदर्शिता जैसे विषयों पर भी समानांतर सुधार आवश्यक हैं। तभी समकालिक निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालीन और प्रभावी सुधार का आधार बन सकेगा।

X. निष्कर्ष

एक राष्ट्र-एक चुनाव भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में प्रस्तावित महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की समकालिक व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित हुई थी। बाद में राजनीतिक अस्थिरता और समयपूर्व सदन विघटन के कारण निर्वाचन चक्र अलग अलग हो गए। वर्तमान परिस्थितियों में बार बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न प्रशासनिक व्यय, चुनावी गतिविधियों में संसाधनों का निरंतर उपयोग तथा शासन के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण समकालिक निर्वाचन की आवश्यकता पर पुनः विचार किया जा रहा है।

एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक कार्यों के समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था के अधिक प्रभावी संचालन तथा विकास योजनाओं में निरंतरता की संभावनाएँ दिखाई देती हैं। राजनीतिक दलों को भी बार बार होने वाले चुनावों के स्थान पर निर्धारित अवधि में चुनावी गतिविधियों को केंद्रित करने का अवसर मिल सकता है। इससे शासन को दीर्घकालीन नीतियों और विकास कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

इसके साथ ही यह व्यवस्था अनेक गंभीर प्रश्न भी उत्पन्न करती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक समान करना, समयपूर्व सरकार के पतन की स्थिति में निर्वाचन चक्र को बनाए रखना, राज्यों की स्वायत्तता सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय राजनीतिक हितों को उचित प्रतिनिधित्व देना प्रमुख प्रश्न हैं। भारत की संघीय व्यवस्था और राजनीतिक विविधता को देखते हुए इन विषयों का समाधान अत्यंत सावधानी से किया जाना आवश्यक है।

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों ने इस विषय को संवैधानिक और विधायी स्तर पर व्यापक आधार प्रदान किया है। प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों के साथ केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त सहमति भी आवश्यक होगी। केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इतनी व्यापक व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा।

अतः एक राष्ट्र-एक चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना, संघीय संतुलन, राज्यों की स्वायत्तता और मतदाता की स्वतंत्र पसंद को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाना आवश्यक है। यदि संवैधानिक प्रावधानों, निर्वाचन प्रबंधन और राजनीतिक सहमति के स्तर पर व्यावहारिक समाधान विकसित किए जाते हैं, तो यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक संगठित बनाने और शासन में निरंतरता स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

संदर्भसूची

1. कश्यप, सुभाष. (1999). हमारी संसद. नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत।
2. रंजन, राजीव. (2000). चुनाव, लोकसभा और राजनीति. ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली।
3. बसु, दुर्गादास. (2003). भारत का संविधान: एक परिचय. प्रेंटिस हॉल, नई दिल्ली।
4. अग्रवाल, मनोज. (2015). चुनाव सुधार: सुशासन की ओर एक कदम. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. साहा, के. सी. (2019). आदर्श आचार संहिता: निर्वाचन संदर्भ पुस्तिका. शिप्रा पब्लिकेशंस, दिल्ली।
6. भारत निर्वाचन आयोग. (1983). निर्वाचन सुधार संबंधी प्रतिवेदन. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।



International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

7. भारत का विधि आयोग. (1999). निर्वाचन कानूनों में सुधार: 170वीं रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. भारत का विधि आयोग. (2015). निर्वाचन सुधार: 255वीं रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति. (2015). लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने संबंधी 79वीं रिपोर्ट. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. नीति आयोग. (2017). भारत के लिए कार्यसूची. भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. भारत निर्वाचन आयोग. (2019). आदर्श आचार संहिता संबंधी मार्गदर्शिका. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
12. रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति. (2024). एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. भारत सरकार. (2024). संविधान संशोधन विधेयक, 2024. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
14. भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. भारत सरकार. (1951). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. डोआबिया, एच. एस., एवं डोआबिया, जी. एस. (2021). निर्वाचन कानून और निर्वाचन याचिकाएँ. ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।
17. कश्यप, सुभाष सी., एवं कश्यप, शौनक. (2023). दल-बदल विरोधी कानून और संसदीय विशेषाधिकार. ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।
18. महाजन, कुबेर. (2024). भारत में निर्वाचन कानून और व्यवहार. व्हाइट्समैन पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
19. चटर्जी, किंगशुक, एवं बिस्वास, सुबेक. (2024). चैंबर्स बुक ऑफ इंडियन इलेक्शन फैक्ट्स. हैशेट इंडिया, नई दिल्ली।
20. चट्टा, सपना. (2025). एक राष्ट्र, एक चुनाव. प्रिंट्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
21. गुप्ता, पीयूष. (2025). एक देश, एक चुनाव: निर्वाचन सुधार की ओर. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com